राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः प. 6(32) राज–6/2020/38 जयपुर, दिनांकः– 25.06.2020

परिपत्र

समस्त जिला कलक्टर
राजस्थान।

विषयः– औद्योगिक प्रयोजन हेतु आंवटित भूमि का अन्तरण अथवा आवंटन/लीज निरस्त किये जाने के संबंध में।

राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के तहत औद्योगिक प्रयोजन हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत सेट अपार्ट भूमि के आवंटन के लिये नियम 2 के तहत राज्य में कही भी एक वृहत स्तरीय उद्योग स्थापित करने के लिये राज्य सरकार के उद्योग विभाग को भूमि आवंटन के लिये सशक्त किया हुआ है। इसी प्रकार वृहत उद्योग के अतिरिक्त उद्योग की स्थापना के लिये जिला जयपुर को छोड़कर संबधित जिला कलक्टर ऐसी भूमि आवंटन के लिये सशक्त है जबकि जिला जयपुर में भूमि आवंटन के लिये निदेशक उद्योग विभाग आवटन प्राधिकारी है (राजस्व विभाग का परिपत्र क्रमांक प.6 (32) राज–6/2020/25 दिनांक 15.5.2020 सलंग्न–1)। वृहत पर्यटन इकाई की स्थापना हेतु एवं जिला जयपुर में पर्यटन इकाई की स्थापना हेतु राजस्व विभाग एवं जिला जयपुर के अतिरिक्त अन्य जिलों में संबंधित जिला कलक्टर आवंटन प्राधिकारी है।

2. उक्त नियमों के तहत आवंटित भूमि पर अपने अधिकार अथवा हित का अन्तरण आवंटन प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा उपरांत ही किये जाने का नियम 9 में प्रावधान है। उक्त नियमों के तहत आंवटित भूमि के उपयोग नियम 3B व नियम 7 व नियम 9 के प्रावधान/लीजडीड में अंकित शर्तो के उल्लंघन की स्थिति में आवंटन निरस्त किये जाने किये जाने की कार्यवाही की जाती है।

3. कतिपय प्रकरणों में जिला स्तर पर की जा रही कार्यवाही के बारे में सामान्य त्रुटियों को दृष्टीगत रखते हुए उक्त क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है किः–

1. लीज पर आवंटित भूमि के अन्तरण की अनुमति अथवा आवंटन/लीज निरस्त किये जाने की कार्यवाही आवंटन प्राधिकारी द्वारा की जायेगी, अर्थात यदि भूमि का आवंटन उद्योग विभाग द्वारा किया गया है तो भूमि का अन्तरण/लीज निरस्त किये जाने की कार्यवाही उद्योग विभाग द्वारा की जायेगी। यदि भूमि का आवंटन राजस्व विभाग द्वारा किया गया है तो अन्तरण/लीज निरस्त किये जाने बाबत् संबधित जिला कलक्टर द्वारा आवंटित भूमि का अन्तरण/लीज निरस्त किये जाने का प्रकरण राजस्य विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
2. आवंटन/लीज निरस्त किये जाने से पूर्व पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,
25.6.20
(कमलेश आबुसरिया)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतुः–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग।
2. समस्त खण्ड आयुक्त, राजस्थान।

उप शासन सचिव